

भारत सरकार
सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय
सीमाशुल्क गृह, विलिंगटन आईलैंड, कोचिन- 682009
Fax: 0484-2668468
Website : www.cochincustoms.gov.in
e-mail : cochincustoms@nic.in
Sevottam compliant



GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
CUSTOM HOUSE, W/ISLAND, COCHIN- 682009
टेलीफोन 0484-2666861 to 2666864
Telephone 0484-2666774 / 2666776
Control Room 0484-2666422
An IS 15700 certified Custom House

परिपत्र CIRCULAR. No. 48 / 2016 -17

विषय : स्थाई व्यापार सुविधा समिति – दिनांक 27.10.2016 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त - संबंधित।

Sub: Permanent Trade Facilitation Committee - Minutes of the meeting held on 27.10.2016 – Reg.

स्थायी व्यापार सुविधा समिति की 129वीं बैठक दिनांक 27.10.2016 को शाम 5.00 बजे सीमाशुल्क गृह, कोचिन के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई। डॉ. के.एन. राघवन, सीमाशुल्क आयुक्त ने बैठक की अध्यक्षता की।

The 129th meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee was held at 5.00 PM on 27.10.2016 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Dr. K.N. Raghavan, Commissioner of Customs chaired the meeting.

बैठक में निम्नलिखित सीमाशुल्क अधिकारी उपस्थित थे: सर्वश्री/श्रीमती

The following officers of Customs were present. S/Shri/Smt.

1. Amreetha Titus, Deputy Commissioner
2. Jimmy Joseph, Asst. Commissioner
3. B.Umadevi Asst. Commissioner
4. Vikram Kaushik, Asst. Commissioner
5. Mohammed Rafic M., Asst. Commissioner
6. S. V. Prakash, Asst. Commissioner
7. Bhuvanachandran P., Scientist 'D', NIC
8. G.Gomathy, Superintendent of Customs
9. K.C.S.Prasanth, Superintendent of Customs
10. Usha V., Superintendent of Customs

व्यापार और व्यापार संबंधी अन्य सरकारी संगठनों के उपस्थित प्रतिनिधि: सर्वश्री:

The Trade and other Govt. Organizations related to trade were represented by S/Shri:

1. Raj Vinod P, Cochin Port Trust
2. D.Iyyanar, Plant Quarantine Office
3. Dr. Doles P.E, FSSAI, Cochin
4. K.Suresh Babu, CFS (CPT)
5. P.P.Rajendran, CFS, Falcon, Kalamassery
6. V.Veera Raghav, CFS, GDKL
7. A.A.Fernandez, Cochin Custom House Agents Association
8. T.S.Rajan, Cochin Custom House Agents Association

9. Beju R, Cochin Steamer Agents Association
10. Prakash Iyer, Cochin Steamer Agents Association
11. S.Ramakrishnan, Seafood Exporters Assn. of India
12. N.N.Menon, EPC for EOU & SEZ Unit
13. Mukul N. D P World

आयुक्त महोदय ने सभी सदस्यों का बैठक में स्वागत किया। पिछली बैठक के कार्यवृत्त और उस पर की गई कार्रवाई पर विचार किया गया। इसके बाद नए बिंदु उठाए गए।

The Commissioner welcomed the members to the meeting. The minutes of the previous meeting and the action taken in respect of points thereon was taken for consideration after which fresh points were taken up.

पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई ACTION ON MINUTES OF LAST MEETING

बिंदु सं. 2 : आर.एम.एस. द्वारा चुने गए रीफर कंटेनरों के संबंध में हो रही कठिनाइयां (सीसीएचएए)

Point No.2. ISSUES FACED DUE TO RMS PICKED REEFER CONTAINERS (CCHAA)

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि उन्होंने आर.एम.एस. निदेशालय से दुबारा इस मामले पर चर्चा की और इस बात की पुष्टि की कि किसी विशेष उद्योग या कारगो के आधार पर आर.एम.एस. द्वारा चुनाव नहीं किया जाता है। आर.एम.एस. प्रणाली में आकस्मिक रूप से चुनाव किया जाता है। गलतियों को न्यूनतम करके और नौवहन बिल में 'क्या नमूना लिया गया है' के कॉलम में 'जी हां' का विकल्प दे कर तथा नमूने लेकर, ऐसे 40% मामले सुलझाये जा सकते हैं। तथापि नमूने लेने जैसे उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन करने के बाद भी अगर आर.एम.एस. द्वारा कंटेनरों को चुना जाता है, तो इनकी जांच करनी अपेक्षित होगी। तथापि, खराब होने वाले कारगो के मद्दे नज़र रीफर कंटेनरों के प्रति विभाग उदार दृष्टिकोण अपना रहा है।

The chair informed that he had discussed this matter again with the RMS Directorate and get it confirmed that RMS selection is not at all industry specific or cargo specific. Selection in RMS in the system is carried out on a random manner. By bringing down the mistakes to the minimum and by opting "Yes" against the column asking 'whether sample is drawn' in the Shipping Bill and by drawing samples, 40 % of this issue will be over. Hence, the containers if selected under RMS, even after following the above instructions regarding drawal of samples etc., will require examination. However, the Department has been taking a liberal view in respect to examination of Reefer Containers, as the cargo is of perishable nature.

बिंदु सं. 3 : ईबीआरसी प्रस्तुत करने के लिए शिपरों को डिमांड नोटिस (सीसीएचएए)

Point No 3. DEMAND NOTICE TO SHIPPERS FOR PRODUCING EBRC(CCHAA)

सीसीएचएए के श्री ए.ए. फर्नांडिस ने सूचित किया कि निर्यात मूल्य से प्राप्त राशि से घटाए गए बैंक प्रभारों के संबंध में बैंक प्राधिकारियों से प्रमाण पत्र हासिल करने में उन्हें कठिनाई हो रही है क्योंकि ऐसे विवरण के लिए ईबीआरसी में प्रावधान नहीं है।

Shri A.A.Fernandez of the CCHAA informed that they find it difficult to get the certificate from the Bank authorities in respect of Bank charges deducted from the amount realized from the export value as the EBRC has not provided for such a detail.

ईपीसीईएस के श्री एन.एन. मेनन ने सुझाव दिया कि इस मामले में डीजीएफटी को अभ्यावेदन भेजा जाए और बैंक प्रभारों को शामिल करने के लिए ईबीआरसी में आवश्यक जगह देने का अनुरोध किया जाए।

Shri N.N.Menon, of EPCES suggested that the DGFT may be represented regarding this issue and inclusion of necessary space in the EBRC for incorporating the Bank charges may be requested for.

चर्चा के लिए उठाए गए नए बिंदु

FRESH POINTS TAKEN UP FOR DISCUSSION

बिंदु सं. 1 नोन-टैरिफ बैरियर अपेक्षाओं का समेकन

Point No.1. CONSOLIDATION OF NON-TARIFF BARRIER REQUIREMENTS

ईपीसीईएस के क्षेत्रीय निदेशक श्री एन.एन. मेनन ने कहा कि आईटीसी (एचएस) निर्यात एवं आयात श्रेणीकरण, जिनमें 16 प्रकार के नोन-टैरिफ बैरियर हैं, में शामिल सामान्य टिप्पणियों में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें डीजीएफटी द्वारा छूट जारी की गई है और अन्य अधिसूचनाएं हैं जो ईओयू, अग्रिम प्राधिकार धारकों, एसईजेड इकाइयों, पुनः-निर्यात, बंधक माल गोदामों की आपूर्ति आदि क्षेत्रों को छूट प्रदान कर रही हैं जिन्हें जोड़ा नहीं गया है। सामान्य टिप्पणियों में कुछ मूल अपेक्षाएं या अनुवर्ती संशोधन शामिल न होने के कारण आयातक को ऐसी छूटों के बारे में केवल आगम पत्र के मूल्यांकन के समय ही पता चल पाता है और उसे अपने आयात कारगो की निकासी में मुश्किल होती है। कुछ मामलों में आयातकों को सीमाशुल्क द्वारा निकासी होने के बाद ऐसी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करने के संबंध में नोटिस जारी किया जाता है। इसके अलावा किसी औसत आयातक के लिए बहुत सारे कानून और समय-समय पर जारी अनेक छूटों को पढ़ कर समझना बहुत मुश्किल होता है।

Shri N.N.Menon, Regional Director EPCES said that in the General Notes incorporated in the ITC (HS) Classification of Exports and Imports which contain 16 categories of Non-Tariff BarrierS, there are a number of areas such as exemptions issued by the DGFT and other notifications giving exemptions for EOUs, Advance Authorisation Holders, SEZ Units, Re-exports, Supply to Bonded Warehouse etc. which are not included. Since, some of the basic requirements or the subsequent amendments do not figure in the General Notes, many a time the importer comes to know about such exemptions only at the time of assessment of the Bill of Entry and experience problems in clearance of their import cargo. In some cases, the importers are even issued with notice from Customs for non-compliance of such requirements after the clearance is over. Moreover, for an average importer, it is extremely difficult to read and understand the volumes of statutes and the number of exemptions issued from time to time.

इसलिए व्यापार करने में सुविधा को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने सुझाव दिया कि डीजीएफटी या राजस्व विभाग द्वारा जनहित में जारी किए गए विभिन्न अनुदेशों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं और छूटों को किसी सिंगल विंडो पर रख दिया जाए ताकि व्यापार जगत संपूर्ण और प्राधिकृत जानकारी के लिए इस भाग का संदर्भ ले सकें। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने पहले ही डीजीएफटी को पत्र भेज दिया है और यह भी कहा कि इस सीमाशुल्क गृह का आयात ग्रुप इस सूचना के संबंध में पात्र होने के कारण किसी वरिष्ठ अधिकारी को यह काम सौंपा जाए। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि इस दिशा में लिया गया कदम कई आयातकों के लिए स्वागत योग्य होगा।

Hence, with a view of bringing ease of doing business, he suggested that the various instructions, circulars notifications and exemptions issued in public interest by the DGFT or by the Department of Revenue may be placed against a Single Window so that the Trade can refer to that portion for a comprehensive and authentic understanding. He informed that he had already sent a letter to DGFT in this regard and said that the Import group of this

Customs House being a repository of this information, a senior officer may be designated for the work. He also requested that a step in this direction would be a refreshing welcome to many Importers.

अध्यक्ष महोदय ने इस सुझाव का स्वागत किया और वादा किया कि वे भी इस मामले को डीजी सिस्टम के साथ उठाएंगे और सुझाव को आईसीईएस में शामिल करवाने की कोशिश करेंगे।

The Chair welcomed this suggestion and promised that he would also take up the matter with DG Systems and try to get the suggestion incorporated in ICES.

बिंदु सं.2 : आयात कंटेनरों की 100% जांच (सीसीएचएए)

Point No.2. 100% EXAMINATION OF IMPORT CONTAINERS (CCHAA)

सीसीएचए के श्री ए.ए. फरनांडस ने सूचित किया कि वर्तमान में आयात कंटेनरों की 100% जांच की जाती है और कंटेनरों की 100% डीस्टफिंग में बहुत अधिक समय और अतिरिक्त प्रभारों के लगने के कारण उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

Shri A.A.Fernandez of the CCHAA informed that presently the import containers are subjected to 100% examination and that they are experiencing great difficulty as 100% destuffing of containers involves a lot of time and extra charges.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि विभाग ने कुछ जोखिम पैरामीटरों के आधार पर कंटेनरों की 100% डीस्टफिंग का निर्णय लिया है। इसके अलावा हाल ही में किसी बाहरी एजेंसी द्वारा आयात माल की जांच में आगम पत्र में घोषित माल से बिल्कुल अलग माल के पाए जाने की घटना भी सोचने पर मजबूर कर देती है। उक्त माल के आयात पर किसी प्रकार की रोक नहीं होते हुए भी घोषणा किए बिना उस माल के आयात का कारण पता नहीं है। जांच आदेश के अनुसार 100% डीस्टफिंग और जांच करना ऐसे प्रचालकों को नाकाम बनाना है। जब विभाग घोषणा पर विश्वास करने का एक कदम आगे बढ़ाता है, तो व्यापार जगत को भी आयात करने वाले माल में सत्यनिष्ठा दिखाकर इस विश्वास को उसी प्रकार बनाए रखना चाहिए। ऐसी गलत घोषणाओं संबंधी घटनाएं बार-बार होने से महौल खराब हो जाता है। तथापि, सभी कन्साइनमेंटों के लिए 100% डीस्टफिंग नहीं की जाती है बल्कि जोखिम पैरामीटरों के आधार पर केवल चुनिंदा कन्साइनमेंटों के लिए की जाती है।

The Chair informed that the department decided to do 100% destuffing of containers based on certain risk parameters. Further a recent incident wherein examination of import containers carried out by an outside agency resulted into finding out of the goods completely different from that of the declared ones in the Bill of Entry is also thought provoking. Even though there is no restriction on the said goods for import, the reason for import of such goods without declaration is not known. 100% destuffing and examination as per directions in examination order is carried out to thwart activities of such operators. When department puts a foot forward to trust the trade, the trade should also reciprocate in equal measure by ensuring integrity of goods imported. Repeated instances of such misdeclaration, sours the atmosphere. However, 100% destuffing is not resorted to for all consignments but only for select consignments based on risk parameters.

दु.सं.3 : एमईआईएस स्कीम के तहत मर्चों की घोषणा के लिए लिखने कम जगह

Point No.3. LESS CHARACTER SPACE FOR MAKING DECLARATION OF ITEMS UNDER MEIS SCHEME

सीसीएचएए ने सूचित किया कि नौवहन बिलों के एमईआईएस घोषणा कॉलम में विवरणों की प्रविष्टि के लिए कम जगह होने के कारण कई मामलों में मदों का वास्तविक विवरण संक्षेप में ही दिया जाता है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि उन्होंने इस संबंध में पहले ही जेडीजीएफटी को पत्र भेजा है और इस समस्या के समाधान के लिए मामले को उठाने का अनुरोध किया।

The CCHAA informed that due to the limited space for entry of description in the MEIS declaration column of the Shipping Bills, actual description of the items in most cases are entered in abbreviation. They also informed that they had already sent a letter to the JDGFT in this regard and requested to take up the issue to get it resolved.

अध्यक्ष महोदय ने उनसे कहा कि इस मामले पर जेडीजीएफटी द्वारा कार्रवाई करने तक इंतज़ार करें।

The Chair asked them to wait till action is taken by the JDGFT in this matter.

कोई अन्य बिंदु नहीं उठाए जाने के कारण अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त होने की घोषणा की। स्थाई व्यापार सुविधा समिति समिति की अगली बैठक की तारीख सीमाशुल्क गृह की वेबसाइट www.cochincustoms.nic.in पर सूचित की जाएगी। चर्चा हेतु यदि कोई मुद्दा हो तो शीघ्र भेजें। किसी भी तरह की पूछताछ फोन नं.0484-2667040 या ई मेल ccu@cochincustoms.gov.in या ccucochin@gmail.com के माध्यम से की जा सकती है।

Since no other points came up for discussion, the Chair declared the meeting closed with a word of thanks and wishing the members with Diwali greetings. The date for next meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee will be intimated through the Custom House website www.cochincustoms.nic.in. Points for discussion, if any, may be sent at the earliest. Enquiries if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at ccu@cochincustoms.gov.in or ccucochin@gmail.com

Sd/-

(डॉ. के.एन. राघवन Dr. K.N. RAGHAVAN)
आयुक्त COMMISSIONER

S.No. S 65/11/2012 – CCU Cus. Pt III
तारीख Dated: 02.11.2016.

प्रस्तुत Submitted to: The Chief Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax,
Kerala Zone, Cochin.

The Additional Director General, Directorate of Tax Payer Service, Bangalore Zonal Unit , 4th
Floor TTMC Building, Above BMTC Bus Stand, Domlur, Bangalore-560071.

प्रतिलिपि प्रेषित Copy to :

Additional Commissioner

All D.Cs & A.Cs
All members